संख्या 910 /77-6-14-05(एम)/2013

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त मंडलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0 शासन।
3. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ0प्र0।
4. अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ दिनांक 04 जुलाई ~~जून~~, 2014

विषयः प्रदेश में मेगा परियोजना की स्थापना को प्रोत्साहन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अवगत कराना है कि दिनांक 15-04-2014 को अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में मेगा- परियोजनाओ से संबंधित 'इम्पावर्ड कमेटी' की बैठक सम्पन्न हुयी, जिसका कार्यवृत्त उद्योग बन्धु के पृष्ठांकन संख्या-उ0ब0/4028/1127/14-15/केबीके, दिनांक 15-04-2014 द्वारा निर्गत किया गया था।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त बैठक मे लिए गए निर्णय/संस्तुति पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त, प्रदेश में मेगा परियोजनाओ की स्थापना को प्रोत्साहन दिए जाने संबंधी शासनादेश संख्या-402/77-6-2014-5(एम)/13 दिनांक 03 मार्च, 2014 मे तात्कालिक प्रभाव से निम्न संशोधन एतद्द्वारा किए जाते है :-

(i) उक्त शासनादेश दिनांक 03-03-2014 के प्रस्तर-8 के अन्तर्गत गठित इम्पॉवर्ड कमेटी में अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु के स्थान पर प्रबन्ध निदेशक, पिकप सदस्य-सचिव होंगे।

(ii) उक्त शासनादेश दिनांक 03-03-2014 के प्रस्तर-11 में यथा इंगित उद्योग बन्धु के स्थान पर पिकप को प्राधिकृत संस्था (नोडल एजेन्सी) नामित किया जाता है।

(iii) उक्त शासनादेश दिनांक 03-03-2014 में यथा वर्णित उद्योग बन्धु द्वारा सम्पादित किए जाने वाले समस्त कार्य/दायित्व एतत्द्वारा अब पिकप द्वारा सम्पादित किए जाएंगे।

3- उक्त शासनादेश दिनांक 03 मार्च, 2014 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय, शासनादेश दिनांक 03 मार्च, 2014 के शेष प्रावधान यथावत रहेंगे।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव।

संख्या : 910(1)/77-6-14-05(एम)2013, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रबन्ध निदेशक, पिकप, पिकप भवन, गोमती नगर, लखनऊ।
2- संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, पिकप भवन, गोमती नगर, लखनऊ।
3- महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय) उ0प्र0 इलाहाबाद।
4- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
5- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उ0प्र0 शासन।
6- औद्योगिक विकास विभाग के समस्त संयुक्त सचिव, उप सचिव, अनुसचिव एवं समस्त अनुभाग।

7- औद्योगिक विकास विभाग के नियंत्रणाधीन समस्त विभागाध्यक्ष/निगमों के प्रबन्ध निदेशक एवं औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी।

8- स्टाफ ऑफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

9- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि शासनादेश की 1500 प्रतियाँ मुद्रित कराकर औद्योगिक विकास अनुभाग-6 को उपलब्ध कराने एवं समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश को मुद्रित प्रतियाँ प्रेषित करने का कष्ट करें।

10- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-6/नियोजन अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।

11- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि कृपया इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार समस्त समाचार-पत्रों में व अन्य प्रचार-माध्यमों से करवाने का कष्ट करें।

12- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कंचन वर्मा)
विशेष सचिव।